

अपील संख्या:—69/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00078)

1. निहालसिंह पुत्र श्री लोहडया, जाति गुर्जर, निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति:—

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 305/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/2 रकबा 12 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह वाके रामा पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप चारागाह जैसा नहीं रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरुद्ध दिनांक 08.03.2016 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कब्जा शुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुणा शास्ती अरोपित की गई है एवं वास्ते कायमी वसूली बेदखल एवं फसल निलामी के आदेश पारित किये हैं तथा साथ ही अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये 60 दिन की सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश पारित किये गये हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिसे भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 26.08.2016 को पत्रावली तथ्यों के विपरित जाकर अपीलार्थी की अपील को विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को ध्यान में नहीं रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किये जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मौके की सही स्थिति का एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं परन्तु अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

(2)

नहीं रखते हुये अपीलार्थीन निर्णय पारित किये है जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मददेनजर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन निर्णय दिनांक 26.08.2016 व उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पॉडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 305/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 306/2 रकबा 12 बिस्वा कुल 4 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जबकि कानूनन राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्त द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर सम्वत् 2072 में खरीफ के समय भी अतिक्रमण किया गया था जिसे तत्समय बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है जिससे वह पश्चात्पूर्वी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 26.08.2016 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।